रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1750] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 2014/भाद्र 14, 1936
No. 1750] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 2014/BHADRA 14, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2014

का.आ. 2238(अ).—जबकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की दिनांक 18 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 101 (अ) द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का गठन किया गया था।

और, जबकि, परिषद का कार्यकाल इसकी प्रथम बैठक की तारीख, अर्थात् 31 जनवरी, 2011 से पांच वर्ष की अवधि तक है।

और, जबकि, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि परिषद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) द्वारा अथवा उक्त के अंतर्गत अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में लगातार चूक कर रही है और साधारणतया, नगरपालिका प्रशासन के संबंध में जनता को दक्ष सेवा प्रदान करने में असफल रही है ;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 30 जून, 2014 को कारण बताओ नोटिस जारी करके परिषद को समुचित अवसर प्रदान किया है तथा परिषद द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार किया है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 398 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को भंग करती है और उक्त अधिनियम की धारा 398 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आदेश करती है कि परिषद को भंग किए जाने की अवधि के दौरान, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 अथवा किसी अन्य कानून द्वारा अथवा उक्त के अंतर्गत परिषद को प्रदत्त और अधिरोपित सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन, अगले आदेशों तक अथवा परिषद का पुनर्गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, श्री जलज श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा किया जाएगा।

परिषद को भंग किए जाने के कारणों का विवरण

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 394 के उपबंधों के तहत केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 20 जून, 2014 को गृह मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारी भेजे, जिन्होंने निम्नलिखित मामलों से संबंधित दस्तावेजों, फाइलों सहित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के संगत दस्तावेजों, फाइलों आदि का निरीक्षण किया, अर्थात् :

(i) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में विद्युत राजस्व की हानि;

(ii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में अवैध निवासियों की अनसुलझी समस्याएं ; और

(iii) अनियत, दैनिक मजदूरी, मस्टर रोल, अस्थायी मस्टर रोल, नियमित मस्टर रोल, संविदा आधार पर कामगारों इत्यादि जैसे कामगारों की श्रेणियों के संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में कार्मिक संबंधी कुप्रबंधन।

2. निम्नलिखित खामियां उनके ध्यान में आई :

(i) **नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में विद्युत राजस्व की हानि** :

मांग एवं आपूर्ति के गलत निर्धारण तथा अधिक/कम विद्युत की बिक्री एवं खरीद के मूल्य बैंड के गलत अनुमान की वजह से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की निवल विद्युत प्रापण लागत में प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रू. की वृद्धि होती है, जो न केवल एक हानि है अपितु इससे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के राजस्व में भी सतत् रूप से कमी आ रही है।

(ii) **नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में अवैध निवासियों की अनसुलझी समस्याएं** :

वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान किए गए निष्कासन अथवा विस्थापन के समय से स्थिति विशेष रूप से बदतर हो गई है । इसके बाद, आगामी चार वर्षों में, अवैध निवासियों की समस्या अनियंत्रित हो गई है तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले इलाकों में भीड़-भाड़ से बचने तथा खाली पड़ी जगह के कुप्रबंधन से बचने के लिए प्रभावी दखल की जरूरत है। सुरक्षा कारणों से सम्पूर्ण क्षेत्र बहुत अधिक संवेदनशील एवं सुभेद्य हो गया है।

(iii) **अनियत, दैनिक मजदूरी, मस्टर रोल, अस्थायी मस्टर रोल, नियमित मस्टर रोल, संविदा आधार पर कामगारों इत्यादि जैसे कामगारों की श्रेणियों के संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में कार्मिक संबंधी कुप्रबंधन**।

इस स्थिति की वजह से स्पष्ट रूप से मानवशक्ति पर होने वाले व्यय में वृद्धि हुई है जबकि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा कार्मिकों की आऊटसोर्सिंग के संबंध में किए जाने वाले व्यय में कोई कमी नहीं की गई है। वास्तव में, यातायात, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, सुरक्षा, अग्निशमन तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद भवनों के प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए सेवाओं की आऊटसोर्सिंग में एक साथ वृद्धि हुई है। यदि यह प्रवृत्तियां बरकरार रहीं, तो इससे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ेगा। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को शीघ्र ही इस मानवशक्ति की कमी संबंधी विषम समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि कार्मिकों की मौजूदा संख्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की गतिविधियों की जरूरत/आवश्यकता तथा इसकी भावी योजनाओं/परियोजनाओं के अनुरूप नहीं है।

3. चूंकि वे मुद्दे, जिनकी ओर ध्यान गया है, वे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के समग्र कार्यकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिनांक 30 जून, 2014 को परिषद को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियिम, 1994 की धारा 395 के उपबंधों के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

4. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का उत्तर दिनांक 07 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुआ था। दिनांक 30 जून, 2014 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस में उठाए गए बिन्दुओं के उत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है तथा केन्द्र सरकार का यह मानना है कि परिषद निरंतर गलती कर रही है :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 द्वारा अथवा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में, तथा

(ख) परिषद लोगों को कुशल सेवा प्रदान करने में और सामान्यत: नगरपालिका प्रशासन के संबंध में बेहतर सेवा प्रदान करने में विफल रही है।

(ग) परिषद द्वारा कभी भी राजस्व की हानि तथा सुरक्षा से संबंधित ऐसे गंभीर/संवेदनशील मुद्दों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित नहीं किया गया।

5. अत:, केन्द्र सरकार की यह राय है कि मौजूदा परिषद् को जारी रखने की अनुमति प्रदान करना उचित नही है, इसलिए, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम,1994 (1994 का 44) की धारा 398 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 18 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.101(अ) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को भंग करती है।

और, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम,1994 की धारा 398 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आदेश देती है कि परिषद को भंग किए जाने की अवधि के दौरान नई दिल्ली

नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 द्वारा अथवा किसी अन्य कानून द्वारा या इसके तहत परिषद को सौंपी गई सभी शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों का निष्पादन आगामी आदेशों तक अथवा परिषद् के पुनर्गठन होने तक, जो भी पहले हो, श्री जलज श्रीवास्तव, आई.ए.एस. द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 14011/23/2014-दिल्ली-।। (1)]

आई. एस. चहल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2014

S.O. 2238(E).— Whereas the New Delhi Municipal Council was constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number *vide* S.O. 101(E), dated the 18th January, 2011;

And whereas, the duration of the Council is for a period of five years from the date of its first meeting that is 31st day of January, 2011;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the Council has persistently been making default in the performance of the duties imposed on it by or under the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994) and has failed to deliver efficient service to the public and generally in regard to the municipal administration;

And whereas, the Central Government has given reasonable opportunity to the Council by issuing Show Cause Notice dated 30th June, 2014 and has considered the reply given by the Council;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 398 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994, the Central Government hereby dissolves the New Delhi Municipal Council with effect from the date of publication of this notification and in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 398 of the said Act, the Central Government hereby orders that during the period of dissolution of the Council, all powers and duties conferred and imposed upon the Council by or under the New Delhi Municipal Council Act, 1994 or any other law, shall be exercised and performed by Shri Jalaj Shrivastava, IAS, until further orders or till the re-constitution of the Council, whichever is earlier.

Statement of the reasons for dissolution of the Council

Under the provisions of section 394 of New Delhi Municipal Council Act, 1994, the Central Government had deputed two senior officers of the Ministry of Home Affairs on 20th June, 2014, who had inspected the relevant documents, files etc. of the New Delhi Municipal Council including those related to the following issues, namely:-

(i) power revenue losses in the New Delhi Municipal Council;
(ii) unresolved problems of illegal squatters in the New Delhi Municipal Council area; and
(iii) personnel mis-management in the New Delhi Municipal Council in respect of categories of workers such as casual, daily-wages, muster roll, temporary muster roll, regular muster roll, contract workers, etc.

2. The following shortcomings came to their notice:

(i) Power Revenue Losses in the New Delhi Municipal Council:-

Due to inaccurate scheduling of demand and supply and improper projection of price band of sale and purchase of excess/deficient power, the net power procurement cost of the New Delhi Municipal Council rises by around rupees two hundred crore every year, which is not only a loss but a consistent drain on the New Delhi Municipal Council revenues.

(ii) Unresolved problems of illegal squatters in the New Delhi Municipal Council area:-

The situation seems to have gone particularly bad since the last eviction or displacement was done during the Commonwealth Games in 2010. Thereafter, in the next four years, squatting has gone on unchecked and needs effective intervention to avoid chaos and mis-mangement of space in the areas under the jurisdiction of the New Delhi Municipal Council. The entire area happens to be very sensitive and vulnerable due to security reasons.

(iii) Personnel mis-management in the New Delhi Municipal Council in respect of categories of workers such as casual, daily-wages, muster roll, temporary muster roll, regular muster roll, contract workers, etc.:-

The situation has obviously resulted in an enhanced expenditure on manpower while no reduction in expenditure has been made in respect of out-sourcing of personnel by the New Delhi Municipal Council. In fact, enchanced out-sourcing of services is being undertaken simultaneously for transport, health and sanitation, security, fire

and operation and maintenance for the New Delhi Municipal Council buildings. If this trend continues, the New Delhi Municipal Council would be under immense financial strain on this account. The New Delhi Municipal Council will have to immediately rectify this highly skewed manpower position, not matching the need/requirement of the activities of the New Delhi Municipal Council and its future plans/proposals.

3. Since the issues that have been observed are vital to the overall functioning of the New Delhi Municipal Council, a Show Cause Notice under the provision of Section 395 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 was issued to the Council on 30th June, 2014, with the approval of the Competent Authority.

4. Reply from the New Delhi Municipal Council was received on 7th July, 2014. The replies to the points raised in the above Show Cause Notice dated 30th June, 2014, have been carefully examined and the Central Government is of the view that the Council is persistently making default:

(a) in the performance of the duties imposed on it by or under the New Delhi Municipal Council Act, 1994; and

(b) failed to deliver efficient service to the public and generally in regard to the municipal administration.

(c) the Council has never kept this Ministry informed about on such serious/sensitive issues relating to revenue loss and security.

7. Therefore, the Central Government is of the view that it may not be appropriate to allow the present Council to continue and, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 398 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994) and in supersession of the notification number S.O. 101(E) dated the 18th January, 2011, the Central Government has decided to dissolve the New Delhi Municipal Council.

And, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 398 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994, the Central Government hereby orders that during the period of dissolution of the Council, all powers and duties conferred and imposed upon the Council by or under the New Delhi Municipal Council Act, 1994 or any other law, shall be exercised and performed by Shri Jalaj Shrivastava, IAS, until further orders or till the re-constitution of the Council, whichever is earlier.

[F. No. 14011/23/2014-Delhi-II(1)]

I. S. CHAHAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2014

का.आ. 2239(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:—

(क) **धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत**
श्री जलज श्रीवास्तव, अध्यक्ष;

(ख) **धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत** :

(i) श्री अरविंद केजरीवाल
विधायक, नई दिल्ली विधान सभा क्षेत्र

(ii) श्री सुरेन्द्र सिंह,
विधायक, दिल्ली कैंट विधान सभा क्षेत्र

(ग) **धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत** :

(i) श्री आई.एस. चहल
संयुक्त सचिव (यू टी)
गृह मंत्रालय

(ii) श्री डी.एस. मिश्रा
अपर सचिव
शहरी विकास मंत्रालय

(iii) श्री धर्मेन्द्र
संयुक्त सचिव
शहरी विकास मंत्रालय

(iv) श्री धर्मपाल
प्रधान सचिव
भूमि और भवन निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(घ) **धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत** :

(i) श्री करण सिंह तंवर;

(ii) श्री बी.एस. भाटी;

(iii) श्रीमती अनीता आर्या;

(iv) श्री अब्दुल रशीद अंसारी;

(ङ) **धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के अंतर्गत:**
श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य, नई दिल्ली

(च) **धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत :**
श्री करण सिंह तंवर, उपाध्यक्ष

[फा. सं. 14011/35/2014-दिल्ली-।। (2)]
आई.एस. चहल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2014

S.O. 2239(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 and section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby constitutes, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the New Delhi Municipal Council consisting of the following members, namely:—

(a) **Under clause (a) of sub-section (1) of section 4:**

Shri Jalaj Shrivastava, *Chairperson*;

(b) **Under clause (b) of sub-section (1) of section 4**:

(i) Shri Arvind Kejriwal
Member of Legislative Assembly, New Delhi Constituency;

(ii) Shri Surender Singh
Member of Legislative Assembly, Delhi Cantonment Constituency

(c) **Under clause (c) of sub-section(1) of section 4:**

(i) Shri I.S. Chahal
Joint Secretary (UT)
Ministry of Home Affairs;

(ii) Shri D.S. Mishra
Additional Secretary,
Ministry of Urban Development;

(iii) Shri Dharmendra
Joint Secretary,
Ministry of Urban Development;

(iv) Shri Dharampal,
Principal Secretary,
Department of Land & Building,
Government of National Capital Territory of Delhi

(d) **Under clause (d) of sub-section (1) of section 4**:

(i) Shri Karan Singh Tanwar;

(ii) Shri B.S. Bhati;

(iii) Smt. Anita Arya;

(iv) Shri Abdul Rasheed Ansari;

(e) **Under clause (e) of sub-section (1) of section 4**:

Smt. Meenakshi Lekhi, Member of Parliament, New Delhi

(f) **Under sub-section (4) of section 4:**

Shri Karan Singh Tanwar - Vice-Chairperson.

[F. No.14011/35/2014-Delhi-II (2)]

I. S. CHAHAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.